


2.1.2 Average percentage of seats filled against reserved seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Diwanganjan, etc. as per applicable reservation

Year	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or						Number of students admitted from the reserved category					
	SC	ST	OBC	Diwanganjan	Gen	Others	SC	ST	OBC	Diwanganjan	Gen	Others
2020-21	68	179	80	0	233	0	31	33	50	0	319	0
2019-20	60	159	72	0	208	0	48	21	72	0	279	0
2018-19	60	159	72	0	208	0	39	27	60	0	278	0
2017-18	60	159	72	0	208	0	24	16	63	0	283	0
2016-17	60	159	72	0	208	0	25	15	68	0	243	0

* In case of Minority Institutions, the column Others may be used and the status of reservation for minorities specified along with supporting documents.



प्रिन्सिपल
डा. भाता बबरी नवीन कल्याण महाराष्ट्र
दिलोचपुर (उ.प्र.)

Office of the Principal, Govt. Mata Shabari Naveen Girls PG College, Bilaspur (C.G)

Near Patwari Prashikshan Kendra, Seepata Road Bilaspur (C.G) 495006

Contact No. 07752-240531, Mobile No. 8253021704

E-mail id : gmsngc1989@gmail.com www.gmsngcbasp.co.in

AISHE Code:- C-22358



Average percentage of seats field against seats reserved for various categories as per applicable reservation policy during last five years in the first year students of Under graduate and Post graduate programmes as per the guideline of C.G. government Department of Higher Education and affiliating university.

Year	Number of Students Admitted from the reserve category				Total students admitted from The reserve categories	Total No. Of Students Admitted
	SC	ST	OBC	GEN		
2020-21	31	33	50	319	114	433
2019-20	48	21	72	279	141	420
2018-19	39	27	60	278	126	404
2017-18	24	16	63	283	103	386
2016-17	25	15	68	243	108	351

(Dr. R. K. Verma)

Principal

Govt. Mata, Shabari Naveen Girls PG
College, Bilaspur(C.G.)



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

दिनांक 26.05.2020
आमंत्रण पत्रे द्वारा
26.05.2020

-----00-----

आमंत्रण पत्रिका संख्या 17-86/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 26.05.2020

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंदारवाडी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने का।
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 416/149/आउशि/सम/2020 दिनांक 26.05
2020

-----00-----

विषयवर्ती सदरित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का
आग्र है।

संलग्न:- उपरोक्त-सुधार।

(रविन्द्र कुमार मेहता)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

संख्याक एफ 17-86/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक महानदीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा
रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
की और सूचनाई अर्पित।
3. फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



स.पु.डी)

2/7/20

2/7/20

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
सत्र 2020-21 हेतु
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
सत्र 2020-21 हेतु
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2020-21

प्रयुक्ति :-

1. ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधानों के साथ समायोजित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आगम्य स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-
इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।
(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।
(ब) प्रवेश हेतु बाड़े/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व सस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। (कडिका 5.1 (क))

[Handwritten Signature]



में उपलब्ध। कार्यवाही के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उसके पुत्र-भुक्तियों को स्थान रिक्त होने पर ही सब के बीतने प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कार्यकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

सम्पत्तीकरण -

आवेदक 'अ' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके बालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है। रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) में जहाँ उसके बालक कार्यरत थे किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु बालक के स्थान (अ) पर स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
 विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के परचाल गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3 प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/सामग्री योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु श्रद्धा संस्था में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना परताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि संकाय प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय कार्यक्रम की कुल कुल की कक्षाओं में शर कोसित हाथ निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेशन (अधिकतम 4 सेशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाये।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/सर्वशारी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

S. N. Singh



प्रवेश सूची :-

- 3.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तकों एवं जहाँ अधिकार देय है, वहाँ अधिकार देकर कुल प्राप्तकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक खतम प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर प्रवेश दिया गया की मोहर लगाकर उस रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय ने प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एक आईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमिक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेगे कि संबंधित छात्र शैक्षणिक/अनुशासन-नहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलग्न है या नहीं। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्ध लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 राज्य शासन द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केंद्र सरकार के शासकीय कर्मचारी अर्हशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पता छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जन्म जर्मनी के

Dr. Anur



विस्थापित तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) उपरोक्तानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। *व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी; परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी; इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो)/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।*

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम/बी.एस.सी (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम/एम.एस.सी (गृह विज्ञान)/एन.ए.- प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।


(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

Signature



विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमरा एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.4 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40% अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओबीसी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित प्रायोगिकों में प्रवेश/सहायता पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

समकक्ष परीक्षा :-

- 5.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉन्सिल फार सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की पूरी सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 5.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय सघ (एन.सी.ई.आर.ए. ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएँ मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केंद्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 5.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन संस्थाओं या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी समाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सघ विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 5.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक

Handwritten signature



के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्हतासूची पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसयूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसयूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक अर्हता संरचना (एनवीईईयूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निम्नलिखित किया गया है। जैसा कि एनएसयूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एच स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनएसयूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईईयूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसयूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एच स्तर के स्नातक पूर्व किन्हीं भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि विश्व संस्थ छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को शैक्षिक मान्यता के लिए सुअवसर मिल सकें।

बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बीए / बी कॉम / बी एस - सी / बी एच.एस - सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने पर उम्मीदवार के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कम से द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछला परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 उम्मीदवार के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की उगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

[Handwritten Signature]



राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा जिसमें भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पार जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का उपाय प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकाल्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-कंटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जीमेंट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में अगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं किया तो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके निरूद्ध न्यायालय में बालान्तरण प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बावजूद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में लाडणीक करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेमिग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवाये एच जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को प्रवेशार्थक सत्र के दिनांक से पूर्व प्रवेशार्थक परीक्षा में प्रवेश देने में प्रवेश न दिया जाये।

प्रवेश हेतु आयु-सीमा -

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई को स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशसित प्राचारियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में एमेटरीयल पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निश्चित अन्यर्था/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

10.1 एग्रेगेशन/शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अति में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अर्पण के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

10.2 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनाश्रित एवं आश्रित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिक सूची तैयार की जायेगी।

[Handwritten Signature]



स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण मूलपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व स्तर के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

- 11.3 किसी संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्जीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों की प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर की त्रिद्वितीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी ग्युमानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक स्तर में प्रदेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इराका विस्तार निम्नलिखित शैति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से छिदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें मात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तु में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इन अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क, 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उधोधर (बटीकला) रूप से अक्षरित किया जाएगा।

(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, मूलपूर्व कामिको /मूलपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सचध में शैक्षणिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क, 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उधोधर आरक्षण के भीतर होगा।

- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निशक्त वर्गों के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अथा आरक्षित रहेंगे।



श्रेणी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणी का कोई सम्बोधन अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन आम्बोटीशन व नियमानुसार भरित सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथासंभव अपभ्रंशित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी श्रेणी जैसे- स्वतंत्रता संघर्ष सेवानवी आदि का भी है तो श्रेणी की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जानी जायेगी, शेष श्रेणी की सीटें भरी जायेंगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एक एक प्रतिशत के बीच जाने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विद्यार्थियों तथा आश्रितों को 6 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समस्त संसद पर भारत में जारी आरक्षण नियमों का मसला किया जाये।

12.9 कड़िका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अन्तर्गत रहेगा।

12.10 वृत्तीय श्रेणी के छात्रियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कड़िका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." को कड़ाई से पालन किया जाए।

अधिभार -

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, प्राप्ता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताओं के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र को साथ सलम करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् कद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिभार हेतु विश्वास नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन सी सी / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द की स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / रोडर्स के अर्थ में यह जावे।

(अ) एन.एस.एस. / एन सी सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस. / एन सी सी "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय स्तरीय उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) जी. सर्टिफिकेट या तृतीय स्तरीय उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय समस्त स्तरीय एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत

में गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

Return



- च) नई दिल्ली के एगलव दिवस परेड में छत्तीसगढ़ 05 प्रतिशत
के एन सी सी / एन एस एस कंटेन्जन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को
- (ग) राज्याभार स्वर्णपदक 05 प्रतिशत
10 प्रतिशत
- (जि) राष्ट्रपति रजतपदक 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन सी सी कैंडिडेट 10 प्रतिशत
- (ञ) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन सी सी कैंडिडेट 10 प्रतिशत
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों की सभ्य बृद्ध एकसंवेज प्रोग्राम में
भाग लेने वाले कैंडिडेट एन सी सी / एन एस एस के लिए
चयनित एवं प्रकाश करने वाले कैंडिडेट को अन्तर्राष्ट्रीय
जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
10 प्रतिशत
- 13.2 आन्तरिक विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर
कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर
- 13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विभव / रूपांकन प्रतियोगिताएँ -
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर
राज्य स्तरीय अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर समाज / क्षेत्र
स्तर प्रतियोगिता में -
- (क) प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त उद्दिष्ट 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित
अन्तरसमाज राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय सभ एआईयू द्वारा आयोजित
प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय
प्रतियोगिता में -
- (क) प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 05 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) समाज / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय सभ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत
करने वाले को
- (ख) प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम 12 प्रतिशत
के सदस्यों को
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत



राज एवं अन्य राष्ट्रों के कलाय युद्ध अथवा गार्डन्स एवं कल्चरल

13.5 अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ 10 प्रतिशत

हला शत्रु में भयानिक एवं प्रवास करने वाले देश के सदस्यों को

13.6 अन्तर्गत शासन/राज्य से मान्यता प्राप्त खेल खेलों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) अन्तर्गत, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली अन्तर्गत की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.6 (ग) कर्मियों के विश्वासेली तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

अन्तर्गत राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकुद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ फील्ड्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/सपाटस अथवा रिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अन्तर्गत गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनमें उन्हें प्रवेश है कि :-

(1) यह प्रश्न के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, अन्तर्गत शासन द्वारा अंतिमोत्तरित किया गया हो, एवं

(2) यह सुनिश्चित किया जाये कि अन्तर्गतों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत अपना अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्रदान करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कर्मिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या द्वितीय प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कर्मिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किया जायेगा। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/धुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/धुप परिवर्तन तब प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/धुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर डॉ. 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति अन्तर्गतों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के सन्नकश या उससे अधिक है।

Signature

